पत्र संख्याः–6/योजना–01–07/2011 गृ0आ0............................/

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
कटिहार

पटना, दिनांक– जनवरी, 2016

विषय :– **कटिहार जिलान्तर्गत सुधानी ओ0पी0 के भवन निर्माण हेतु रैयती भू–अर्जन के लिए विमुक्त अतिरिक्त वृद्धित राशि ₹ 8,09,723 (आठ लाख नौ हजार सात सौ तैईस रू0) का आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–12, दिनांक–04.01.2016 द्वारा कटिहार जिलान्तर्गत सुधानी ओ0पी0 के भवन निर्माण हेतु रैयती भू–अर्जन के लिए कुल पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹ 26,85,813 (छब्बीस लाख पचासी हजार आठ सौ तेरह रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए अतिरिक्त वृद्धित राशि ₹ 8,09,723 (आठ लाख नौ हजार सात सौ तैईस रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी गयी है। उक्त विमुक्त राशि ₹ 8,09,723 (आठ लाख नौ हजार सात सौ तैईस रू0) चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकासी हेतु आवंटित किया जाता है।

2. उपर्युक्त आवंटित राशि का व्यय राज्य योजनान्तर्गत मांग संख्या–22 के बजट मुख्य शीर्ष–"4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–050–भूमि–उपशीर्ष–0101–थाना/चौकी के भू–अर्जन हेतु" विषय शीर्ष–53 02–भू–अर्जन, विपत्र कोड–P4055000500101 एवं राज्य योजना स्कीम कोड–HOM–5419 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. **आवंटित राशि वित्त विभाग के ज्ञापांक–3687, दिनांक–30.03.2012 द्वारा दिये गये मार्ग निदेश के आलोक में व्यक्तिगत जमा खाता (पी0डी0 खाता) में जमा किया जायेगा।**

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, कटिहार होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, कटिहार से की जायेगी।

6. उपर्युक्त आवंटित राशि का व्यय प्रतिवेदन संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0:–6/योजना–01–07/2011 गृ0आ0.......163......../पटना, दिनांक 11/जनवरी, 2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कटिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/जिला पदाधिकारी, कटिहार/पुलिस अधीक्षक, कटिहार/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.1.16

सरकार के प्रधान सचिव